आदेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 545/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

कैलाश खाण्डल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल निवासी प्लाट नम्बर 221 ब्राह्मणों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।

प्रार्थी ऋणी

एडलवेस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ पता बिल्डिंग नं॰ ई–3, झण्डेवाला ऐस्टेट, रानी झांसी रोड, दिल्ली।

अप्रार्थी वित्तीय संस्था

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 623/2022 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) ब उनवानी एडलवेस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ बनाम एन॰ के॰ पब्लिक स्कूल केन्टीन व अन्य आदेश दिनांक 06.12.2022.

उपस्थित–

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुनील दत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 21.01.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 623/2022 ((किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी एडलवेस असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ बनाम एन॰ के॰ पब्लिक स्कूल केन्टीन व अन्य में पारित आदेश दिनांक **6.12.2022** को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री सुनील दत्त शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने कथाकथित वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लेकर एच॰डी॰बी॰ फाइनेन्शियल सर्विसेज लि॰ से ऋण लिया था। तत्पश्चात एच॰डी॰बी॰ फाईनेन्शियल सर्विसेज लि॰ ने उक्त ऋण पर मुम्बई में श्री सुनील आर गेहरा सोलर आर्बीट्रेटर नियुक्त कर एक्स पार्टी अवार्ड दिनांक 06.05.2017 को जारी करवाया तत्पश्चात एच॰डी॰बी॰ फाइनेन्शियल सर्विसेज लि॰ ने उक्त पारित अवार्ड को निष्पादित कराने के लिए माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर में इजराय संख्या 74/2016 प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थी इजराय में नोटिस जारी होने पर उपस्थित आया और अवार्ड की प्रति उपलब्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो दिनांक 16.01.2020 को अवार्ड की प्रति उपलब्ध कराई गई उसके बाद कोरोना महामारी आ जाने से न्यायालय में कार्यवाही नहीं चली । तत्पश्चात दिनांक 18.02.2021 को हस्तान्तरित माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 6, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 20.03.2021 प्रदान की गई। उक्त पेशी पर एच॰डी॰बी॰ फाईनेन्शियल सर्विसेज लि॰ ने माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 6, जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष इजराय नोट प्रेस में आगे नहीं चलाने के आधार पर खारिज करवा लिया गया तथा न्यायालय को ना तो अवगत कराया गया कि डिकीदार कम्पनी ने किस वित्तीय संस्था को असाईन किया है तथा ना ही न्यायालय में नये सिरे से कार्यवाही के लिए लिबर्टी ली गई। इसी ऋण को लेकर तथाकथित एडलवेस कम्पनी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 12.10.2021 को धारा 13 (2) सरफेशी एक्ट के तहत नोटिस प्रेषित करवाया गया जिसका प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटिस के तथ्यों को खण्उन करते हुये माकूल जबाब दिया गया। एडलवेस असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी ने प्रार्थी द्वारा प्रेषित जबाब नोटिस धारा 13 (4) का कोई जबाबुल जबाब नहीं दिया ना ही प्रार्थी द्वारा उठाये गये एतराज उज्र का खण्डन ही आज दिनांक तक किया गया। तत्पश्चात वित्तीय कम्पनी एडलवेस असेट रिकन्स्ट्रेक्शन कम्पनी लि॰ द्वारा प्रेषित नोटिस धारा 13 (2) सरफेशी एक्ट के आधार पर प्रार्थी कम्पनी ने धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के तहत माननीय न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय के यहां प्रार्थना पत्र संख्या 666/2023 प्रस्तुत किया । माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर में दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 19.09.2022 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस के आधार पर खारिज फरमा दिया गया । एडलवेस असेट रिकन्सट्रेक्शन कम्पनी द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत झूंठे तथ्य दर्ज कर और उपरोक्त वर्णित माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम–6 महानगर जयपुर एवं माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर में मूल ऋणदाता कम्पनी एवं तत्पश्चात वर्तमान कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही को छिपा कर तथा श्रीमान के समक्ष वास्तविक तथ्यो को नही बता कर धारा 13 (2) सरफेशी एक्ट के तहत जारी नोटिस को आधार बना कर प्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बाबजूद जबाब नहीं दिया गया । झूंठा कथन कर मान्य न्यायालय से उक्त आदेश दिनांक 06.12.2022 को प्राप्त कर लिया तथा एक सोची समझी चाल के तहत पांच माह पश्चात बिना किसी सूचना के कर्मचारी हड़ताल का फायदा उठाया ताकि पीड़ित को कोई विधिक कार्यवाही ओदश के अभाव में नहीं कर सके और प्रार्थी कम्पनी कुछ हद तक सफल भी रही। विधि का मूलभूत सिद्वान्त है तथा धारा 10 सी पी सी के तहत आबद्व है तथा क्या मूल ऋणदाता द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही अमल में लिये जाने के पश्चात स्वयं द्वारा कार्यवाही समाप्त कराने के पश्चात बिना न्यायालय से

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फेस कार्यवाही अलहेदा पेश करने की अनुमति लिये पुनः किसी अन्य वित्तीय संस्था पेश कर सकती है। यही नहीं प्रार्थना पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रावधानों के तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खारिज करवा लिया था। इसलिए प्रकरण का अंमिम तौर पर निस्तारण हो गया था। आवेदक कम्पनी ने उक्त आदेशों के विरूद्व कोई अपील पेश नहीं की है। अतः कार्यवाही अंतिम हो गई। इसी दौरान प्रार्थी द्वारा मूल ऋणदाता एच डी बी फाईनेन्शियल सर्विसेज लि॰ कम्पनी की दोनो कार्यालय अहमदाबाद एवं जयपुर में दिनांक 19.10.2022 को विधिक नोटिस प्रोषित कर अमानता रखे चैक व प्लाट संख्या 221 के मूल कागजात की मांग की लेकिन आज तक ना तो नोटिस का जबाब दिया और ना ही मूल अमानता रखे दस्तोवज आज तक लौटाये है। आवेदक कम्पनी ने इस प्रकार अमानत में खयानत का अपराध कारित किया है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुये और वास्तविक तथ्यों को प्रकट किये बगैर माननीय न्यायालय से फाड प्ले करते हुये आदेश दिनांक 06.12.2022 को प्राप्त किया। यदि माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी कम्पनी द्वारा वास्तविक तथ्यों को प्रकट किया जाता तो अवश्य ही माननीय न्यायालय उपरोक्त प्रकार का आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित नहीं करती । इसलिए उपरोक्त कारणों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित किया गया है उस आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है तथा रिव्यु के पश्चात आदेश दिनांक 06.12.2022 को निरस्त कर संशोधित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 06.12.2022 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5- अप्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त तको का खण्डन करते हुये दलील पेश किया कि वित्तीय संस्था एच॰डी॰बी॰ फाईनेन्सियल सर्विसेज लि॰ द्वारा दिनांक 17.02.2021 को असाईनमेन्ट कर ऋण खाता अप्रार्थी एडलवेस एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ को हस्तान्तरण कर दिया। एसाईनमेन्ट के बाद एडलवेस एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰ अब ऋणदाता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाने पश्चात उक्त आदेश को रिकाल/रिव्यू करने की कोई क्षेत्राधिकारिता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रथमतया क्षेत्राधिकार के अभाव मे ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की पूर्ण जानकारी थी, किन्तु उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया । विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किये गये एवं दो दैनिक अखबारो में भी साया करवाया गया एवं सम्पत्ति पर चस्पा भी किया गया। विपक्षी कम्पनी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ पोस्ट रसीद व अखबार साया की प्रति प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर ही मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। वित्तीय संस्था प्रार्थी ऋणी की सम्पत्ति का कब्जा लेने की इच्छा नहीं है, किन्तु प्रार्थी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी वित्तीय

जिला कलक्टर
जयपुर

कम्पनी को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है । इसलिए वित्तीय संस्था को मजबूरी वश विधिक कार्यवाही अमल में लानी पड़ी। प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई किये जाने का मान्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 17 में अपील किये जाने का प्रावधान है । मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश की गई है। जिस पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व की वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना के प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक **21.01.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

कलक्टर जिला जयपुर (राज.)